

नियम 75 : पक्षकार के सुनवाई के अधिकार पर प्रतिबंध

वह पक्षकार, जिसने अपील अधिकरण के समक्ष अपने लिए उपस्थित होने के लिए किसी विधि व्यवसायी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, उसे अपील अधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुतिकरण करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
